

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

क्रमांक एफ 16-37/2020/ए-ग्यारहः राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स हेटिच इंडिया प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में रुपये 280.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से फर्नीचर फिटिंग्स निर्माण परियोजना क्रियान्वित कर पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - यंत्र, संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 समान वार्षिक किस्तों में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। इकाई को रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2020) के प्रावधान अनुसार प्रदान किया जाये।
2. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन


औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

पृ.क्रमांक एफ 16-37/2020/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - धार ।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिभोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स हेटिच इंडिया प्रा. लि., 302, Durolite House, Opp Sab TV, New Link Road, Mumbai - 400053।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग